

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठारीन अधिकारी-

रामरतन सौंकरिया

आर.ए.एस.

मिसल नम्बर

तारीख दायरा

तारीख निर्णय

101/2025/प्रा.पत्र/2025

23.12.2025

23.01.2026

जीसीएमएस नं० 251/2025

डॉ० मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी टोंक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक राज०।

.....प्रार्थी

बनाम

1-श्री राजेन्द्र कुमार साहू पुत्र श्री ताराचन्द साहू एफ.बी.ओ. मैसर्स राजूलाल कन्हैया लाल बस स्टैण्ड के बाहर देवली जिला टोंक राज०। निवासी वार्ड नं० 12 तेली मोहल्ला देवली जिला टोंक राज०। पिनकोड-304804 मोबाईल नं० 9214925662

.....अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफ.एस.एस. एक्ट 2006, रूल्स 2011

उपरिथत-

1-पेरोकार सरकार।

2-अप्रार्थी श्री राजेन्द्र कुमार साहू स्वयं उपस्थित।

:-निर्णय:-

दिनांक 23/1/26

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 28.09.2025 को समय 12:39 पी.एम. पर मैसर्स राजू लाल कन्हैया लाल बस स्टैण्ड के बाहर देवली जिला टोंक पर पहुंचा। वहाँ पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता की हैसियत से श्री राजेन्द्र कुमार साहू पुत्र श्री ताराचन्द साहू अपने प्रतिष्ठान मैसर्स राजूलाल कन्हैया लाल बस स्टैण्ड के बाहर देवली जिला टोंक पर खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, श्री राजेन्द्र कुमार साहू पुत्र श्री ताराचन्द साहू को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री राजेन्द्र कुमार साहू पुत्र श्री ताराचन्द साहू ने स्वयं को प्रतिष्ठान का मालिक होना बताया तथा मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा श्री राजेन्द्र कुमार साहू की उपस्थिति में प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान में गुड, तेल, घी व अन्य खाद्य पदार्थ के साथ-साथ मसाले खुले के साथ-साथ लगभग 4-5 किलोग्राम धनिया पावडर खुला (Conriander Powder Loose) दुकान में स्टील की कैन में वास्ते आम जनता के विक्रय हेतु रखा हुआ था। धनिया पावडर खुला (Conriander Powder Loose) का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर विक्रेता श्री राजेन्द्र कुमार साहू पुत्र श्री ताराचन्द साहू को गवाह के सामने फार्म नं० 5ए में वास्ते नमूना जांच कर करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रशीद प्राप्त की जिस पर खाद्य कारोबारकर्ता श्री राजेन्द्र कुमार साहू पुत्र श्री ताराचन्द साहू के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक ने हस्ताक्षर मय मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को सुपुर्द कर बताकर कि यह धनिया पावडर खुला (Conriander Powder Loose) दुकान में स्टील की कैन में 4-5 किलोग्राम में से धनिया पावडर खुला



.....
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

(Conriander Powder Loose) को ज्यों का त्यों पैकड अवस्था में से 2 किलोग्राम मूल पैक वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा धनिया पावडर खुला (Conriander Powder Loose) की खरीदशुदा 2 किलोग्राम को अलग-अलग प्लास्टिक की 4 चार साफ व सूखी डिब्बों में 500-500 ग्राम भरकर, डिब्बों के ढक्कन को नियमानुसार अच्छी तरह एयरटाइट कर लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया और प्रत्येक लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई-4441 दर्ज कर, विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर चारों नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई-4441 नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया एवं मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपडी कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य विकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2025/4402 दिनांक 27.10.2025 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एलएस/3923/एक्ट/2025/3915 दिनांक 14.10.2025 के अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच क्य किया गया धनिया पावडर खुला (Conriander Powder Loose) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 के अनुसार अवमानक (Sub-Standard) व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 के रेगुलेशन (विक्रय प्रतिषेध एवं निर्वधन) नं. 2.3.14(15) के अनुसार कॉन्ट्रावेन (Contravene) स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी श्री राजेन्द्र कुमार साहू स्वयं उपस्थित हुये एवं निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट नहीं की गई है। यह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी मानकों को पूरा करता है। यह मानव उपयोग के लिए किसी तरह हानिकारक नहीं है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावे।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस धनिया पावडर खुला (Conriander Powder Loose) का विक्रय कर रहे थे, वह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के मानकों को पूरा नहीं करता है। उक्त धनिया पावडर खुला (Conriander Powder Loose) जांच में कॉन्ट्रावेन (Contravene) व अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 58 में जुर्माने की श्रेणी में आता है। इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।



प्रतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोक

हमने अप्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की बहस को सुना एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया धनिया पावडर खुला (Conriander Powder Loose) का नमूना जांच में कॉन्ट्रावेन (Contravene) व अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii), (iv) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 व 58 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर कुल शास्ति रूपये 5000/- (अक्षरे पाँच हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर अनिवार्य रूप से जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। प्रकरण में जब्तशुदा सैंपल को अपील की अवधि व्यतीत होने के पश्चात नियमानुसार नष्ट कर दिया जावें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।



आज दिनांक 23/1/24 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(रामरतन सीकरिया)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक-राज0